



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05032021-225655
CG-DL-E-05032021-225655

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 80]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 4, 2021/फाल्गुन 13, 1942

No. 80]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 4, 2021/PHALGUNA 13, 1942

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच समाप्ति अधिसूचना

(न्यू शिपर समीक्षा)

नई दिल्ली, 4 मार्च, 2021

मामला सं. एनएसआर 01/2020

विषय : चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित रबड़ के फ्लैप और/या ट्यूब के साथ अथवा उसके बिना नए/अप्रयुक्त न्यूमेटिक रेडियल टायर (ट्यूबलैस टायर सहित), जिनका नोमिनल रिम व्यास कोड 16 इंच से अधिक हो, जिनका प्रयोग बसों और लॉरी/ट्रक में किया जाता है, पर लागू सब्सिडीरोधी शुल्क के मामले में, मै. शेनडॉंग हाओहुआ टायर कं. लि., चीन जन.गण.(उत्पादक) के लिए अलग प्रतिसंतुलनकारी/सब्सिडीरोधी शुल्क दर निर्धारण के लिए न्यू शिपर समीक्षा जांच की समाप्ति ।

फा. सं. 7/8/2020-डीजीटीआर.—मै. शेनडॉंग हाओहुआ टायर कं. लि. चीन जन. गण. (जिसे आगे आवेदक या उत्पादक भी कहा गया है) ने गुआंगझोऊ एक्सीड इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड, चीन जन.गण. ("एक्सीड") और एच.के. ट्रेड विंड ट्रेडिंग लिमिटेड, हॉंगकॉंग ("ट्रेड विंड") (सभी तीनों कंपनियों को आगे न्यू शिपर आवेदक भी कहा गया है) के साथ सब्सिडी और प्रतिसंतुलनकारी उपायों संबंधी करार (जिसे आगे "ए एस सी एम" भी कहा गया है) के अनुच्छेद 19.3, समय-समय यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (सब्सिडी प्राप्त वस्तुओं की पहचान, उन पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) तथा समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट

प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया था जिसमें चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित बसों और लॉरी/ट्रकों में प्रयुक्त 16 इंच से अधिक नामिनल रिम व्यास कोड वाले रबड़ के फ्लैप और/या ट्यूब के साथ अथवा उसके बिना (ट्यूबलैस टायर सहित) नए/अप्रयुक्त न्यूमिटिक रेडियल टायर के सब्सिडी प्राप्त आयातों पर लागू सब्सिडी रोधी शुल्क के मामले में अलग प्रतिसंतुलनकारी/ सब्सिडीरोधी शुल्क दरों के निर्धारण के लिए अनुरोध किया गया था। उक्त शुल्कों की सिफारिश दिनांक 25 मार्च, 2019 की अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना सं. 6/8/2018-डीजीएडी के द्वारा की गई थी तथा केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 24 जून, 2019 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 1/2019-सीमाशुल्क (सीवीडी) द्वारा लगाया गया था।

2. न्यू शिपर आवेदक द्वारा प्रस्तुत विधिवत रूप से साक्ष्यांकित आवेदन और उपलब्ध प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर प्राधिकारी ने दिनांक 25 मार्च, 2019 की अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना सं. फा.सं. 6/8/2018-डीजीएडी के माध्यम से प्राधिकारी द्वारा की गई सिफारिश के अनुपालन में दिनांक 24 जून, 2019 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 1/2019-सीमाशुल्क (सीवीडी) के माध्यम से चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित बसों और लॉरी/ट्रकों में प्रयुक्त 16 इंच से अधिक नामिनल रिम व्यास कोड वाले रबड़ के फ्लैप और/या ट्यूब के साथ अथवा उसके बिना (ट्यूबलैस टायर सहित) नए/अप्रयुक्त न्यूमिटिक रेडियल टायर के सब्सिडी प्राप्त आयातों पर लागू सब्सिडीरोधी शुल्क के संबंध में अलग प्रतिसंतुलनकारी/सब्सिडीरोधी शुल्क की दर के निर्धारण के लिए एसीसीएम के अनुच्छेद 19.3 के साथ पठित नियमावली के नियम 24 के अनुसार 20 अप्रैल, 2020 की जांच शुरूआत अधिसूचना 7/8/2020-डीजीटीआर के माध्यम से न्यू शिपर समीक्षा जांच की शुरूआत की थी।

3. उक्त जांच में उत्पादक के रूप में मै. शानडोंग हाओहुआ टायर कं. लि. चीन जन.गण. और व्यापारी के रूप में गुआंगझोऊ एक्सीड इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी कं. लि., चीन जन. गण. तथा एच के ट्रेड विंड ट्रेडिंग लिमिटेड हॉंगकांग) शामिल हैं।

4. उक्त न्यू शिपर समीक्षा जांच के प्रयोजनार्थ जाँच की अवधि (पीओआई) 1 अक्टूबर, 2019 से 30 सितंबर 2020 (12 माह) की थी।

5. दिनांक 14 जुलाई, 2020 के पत्र द्वारा आवेदक ने जांच अवधि के विस्तार का अनुरोध किया था ताकि वे भारत को संबद्ध वस्तु का निर्यात करने में सक्षम हो सकें। तथापि, प्राधिकारी ने आवेदक को पीओआई की शेष अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद के निर्यात की तर्कसंगत मात्रा भेजने और अलग शुल्क मार्जिन के निर्धारण के पश्चात ब्यौरे प्रस्तुत करने की सलाह दी।

6. इस जांच के पूरा होने से पहले प्राधिकारी को आवेदक से दिनांक 28 जनवरी, 2021 को यह बताते हुए एक पत्र प्राप्त हुआ कि उसके पास भारत को इन वस्तुओं का निर्यात करने का कोई अवसर नहीं है क्योंकि विदेश व्यापार उपचार महानिदेशालय द्वारा दिनांक 12 जून, 2020 की अधिसूचना सं.12/2015-2020 के माध्यम से आयात प्रतिबंध लगाए गए हैं।

7. प्राधिकारी नोट करते हैं कि नियमावली के नियम 14(क) का पाठ निम्नानुसार है:

“जांच समाप्त करना – निर्दिष्ट प्राधिकारी किसी जांच को एक सार्वजनिक सूचना जारी करके तत्काल समाप्त कर देंगे यदि-

(क) उन्हें प्रभावित घरेलू उद्योग जिसके कहने पर जांच शुरू की गई थी, की ओर से ऐसा करने के लिए लिखित अनुरोध प्राप्त होता है;”

8. तदनुसार, आवेदक के अनुरोध और पाटनरोधी नियमावली के नियम 14(क) के प्रावधान के मद्देनजर प्राधिकारी चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित बसों और लॉरी/ट्रकों में प्रयुक्त 16 इंच से अधिक नामिनल रिम व्यास कोड वाले रबड़ के फ्लैप और/या ट्यूब के साथ अथवा उसके बिना (ट्यूबलैस टायर सहित) नए/अप्रयुक्त न्यूमिटिक रेडियल टायर पर लागू सब्सिडीरोधी शुल्क के मामले में शेंडडॉंग हाओहुआ टायर कंपनी लिमिटेड, चीन जन.गण. (उत्पादक) के लिए अलग प्रतिसंतुलनकारी/सब्सिडीरोधी शुल्क दर के निर्धारण हेतु वर्तमान न्यू शिपर समीक्षा जांच को एतद्वारा समाप्त करते हैं।

अनंत स्वरूप, महानिदेशक

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRIES
(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

TERMINATION NOTIFICATION

(New Shipper Review)

New Delhi, the 4th March, 2021

Case No. NSR-01/2020

Subject : Termination of New Shipper Review investigation for determination of individual countervailing/ anti-subsidy duty rate for M/s. Shandong Haohua Tire Co., Ltd., China PR (Producer) in the case of Anti-Subsidy duties imposed on New/Unused pneumatic radial tyres with or without tubes and/or flap of rubber (including tubeless tyres), having nominal rim dia code above 16" used in buses and lorries/trucks, originating in or exported from China PR.

F. No. 7/8/2020-DGTR.—1. M/s. Shandong Haohua Tire Co., Ltd., China PR (hereinafter also referred to as “Applicant” or “producer”), along with Guangzhou Exceed Industrial Technology Co. Ltd., China PR (“Exceed”) and H K Trade Wind Trading Limited, Hong Kong (“Trade Wind”), (all three entities hereinafter also referred to as New Shipper Applicants) had filed an application in accordance with Article 19.3 of Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (hereinafter also referred to as “ASCM”), the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Countervailing Duty on Subsidized Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the ‘Rules’) and the Custom Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the ‘Act’) before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the “Authority”) requesting for determination of their individual countervailing/ Anti-subsidy duty rates in the matter of Anti-subsidy duties levied on subsidized imports of “New/Unused pneumatic radial tyres, with or without tubes and/or flap of rubber (including tubeless tyres), having nominal rim dia code above 16-inches used in buses and lorries/ trucks”, originating in or exported from China PR. The said duties were recommended vide Final Findings Notification No. F. No. 6/8/2018 DGAD dated 25th March 2019 and levied by the Central Government vide Customs Notification No. 1/2019-Customs (CVD) dated 24th June 2019.

2. On the basis of a duly substantiated application filed by the New Shipper Applicant and the *prima facie* evidence available, the Authority vide Initiation Notification 7/8/2020-DGTR dated 20th April 2020 initiated the New Shipper Review investigation in terms of Rule 24 of the Rules read with Article 19.3 of the ASCM for determination of individual countervailing/ Anti-subsidy duty rate in relation to the Anti-subsidy duties levied on subsidized imports of New/Unused pneumatic radial tyres, with or without tubes and/or flap of rubber (including tubeless tyres), having nominal rim dia code above 16-inches used in buses and lorries/ trucks”, originating in or exported from China PR vide Customs Notification No. 1/2019-Customs (CVD) dated 24th June 2019 pursuant to the recommendations made by the Authority vide Final Findings Notification No. F. No. 6/8/2018 DGAD dated 25th March 2019.
3. The said investigation involved M/s. Shandong Haohua Tire Co., Ltd., China PR as Producer and Guangzhou Exceed Industrial Technology Co. Ltd., China PR and H K Trade Wind Trading Limited, Hong Kong as traders.
4. The period of investigation (POI) for the purpose of the said shipper review investigation was 1st October 2019 to 30th September 2020 (12 months).
5. Vide letter dated 14th July 2020, the applicant had requested for extension of period under investigation so as to enable them to exports subject goods to India. However, the Authority advised the applicant to effect reasonable quantity of exports of the product under consideration during the remaining period of POI and submit the details thereafter for determination of individual duty margin.
6. Pending the completion of the investigation, the authority received a letter dated 28th January 2021 from the applicant stating that it has no opportunity to affect exports of its goods to India because of the import restrictions imposed by the Directorate General of Foreign Trade vide Notification No. 12/2015–2020 dated 12 June 2020. The applicant vide the said letter requested for withdrawal of its application with the liberty to file the application again.

7. The Authority notes that the Rule 14(a) of the Anti-Dumping Rules reads as under;

“Termination of investigation. - The designated authority shall, by issue of a public notice, terminate an investigation immediately if –

(a) it receives a request in writing for doing so from or on behalf of the domestic industry affected, at whose instance the investigation was initiated;”

8. Accordingly, in view of the request of the applicant and the provision in Rule 14 (a) of the Anti-Dumping Rules, the Authority hereby terminates the present New Shipper Review investigation for determination of individual countervailing/ anti-subsidy duty rate for M/s. Shandong Haohua Tire Co., Ltd., China PR (Producer) in the case of Anti-Subsidy duties imposed on New/Unused pneumatic radial tyres with or without tubes and/or flap of rubber (including tubeless tyres), having nominal rim dia code above 16" used in buses and lorries/trucks, originating in or exported from China PR.

ANANT SWARUP, Designated Authority